प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 06.02.2026

#OperationConviction

> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या कारित करने वाले 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना फैजगंज बैहटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2022 धारा 302 भा0द0वि0 व मु0आ0स0 151/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम योगेन्द्र पुत्र भीकम निवासी ग्राम व कस्बा मुडिया धुरेकी थाना फैजगंज बैहटा जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक थानाध्यक्ष श्री चरण सिंह थाना फैजगंज बैहटा द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार का0 दीपक कुमार थाना फैजगंज बैहटा द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 06.02.2026 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र को धारा 302 भा0द0वि0 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास तथा 1,10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 दीपक कुमार थाना फैजगंज बैहटा , लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता तथा तत्कालीन विवेचक थानाध्यक्ष श्री चरण सिंह थाना फैजगंज बैहटा का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।